मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल, 1998 (चैत्र 25, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन सम्बन्धी उल्लेख :-

(1) श्री गणपत सिंह धुर्वे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा;
(2) श्री झाडूराम रावटे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा;
(3) श्री नरेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा; तथा
(4) भोपाल के निकट देलावाड़ी में हुई बस दुर्घटना के मृतक.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित, भोपाल का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए; तथा

(ख) मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1995-96 (अनुभाग-1) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97;

(ख) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 (दिनांक 1-7-1996 से दिनांक 30-6-1997 तक);

(ग) डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई, 1996 से दिनांक 30 जून, 1997 तक ; तथा

(घ) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का उनतीसवां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 (दिनांक 1 जुलाई, 1996 से दिनांक 30 जून, 1997 तक),

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री कैलाश कुण्डल, लक्ष्मीनारायण शर्मा, गोपाल परमार, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में श्रमिक बीमा एवं फसल बीमा की राशि के वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर जिले के अनेक ग्रामों में कुष्ठ रोग का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. शासकीय संकल्प

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

" मध्यप्रदेश की विधान सभा समवेत रूप से भारत सरकार के प्रति छत्तीसगढ राज्य की स्थापना का निर्णय लेने हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करती है."

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 8 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश मैहर शारदा देवी मेला विधेयक, 1998 (क्रमांक 11 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 3 बजे

7. वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 अप्रैल, 1998